[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं0 37/2018-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 2 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. ....(अ)– सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 57/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 798 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत, भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

(i) क्रम संख्या 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"5क.	8517 70 90, 8525 80 20, 8525 80 90, 8529 90 90	कैमरा मॉड्यूल जो कि सेलुलर मोबाइल फोन के विनिर्माण में प्रयोग किए जाते हैं ।	10%	1
5ख.	8517 70 90	कनेक्टर्स जो कि सेलुलर मोबाइल फोन के विनिर्माण में प्रयोग किए जाते हैं ।	10%	1";

(ii) क्रम संख्या 6 के समक्ष कॉलम (3) में (i), (ii) और (iii) का लोप कर दिया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा; यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"6क.	कोई अध्याय	(क) इनपुट्स या पार्ट्स जिनका प्रयोग सेलुलर मोबाइल फोन के प्रिंटिड सक्रिट बोर्ड एसेंबली (पीसीबीए) के विनिर्माण में होता है	शून्य	1

		(ख) इनपुट्स या सबपार्ट्स जिनका प्रयोग उपर्युक्त (क) के पार्ट्स के विनिर्माण में होता है ।	शून्य	1
6ख.	कोई अध्याय	(क) इनपुट्स या पार्ट्स जिनका प्रयोग सेलुलर मोबाइल फोन के कैमरा मॉड्यूल के विनिर्माण में होता है (ख) इनपुट्स या सबपार्ट्स जिनका प्रयोग उपर्युक्त (क) के पार्ट्स के विनिर्माण में होता है ।	शून्य शून्य	1 1
6ग.	कोई अध्याय	(क) इनपुट्स या पार्ट्स जिनका प्रयोग सेलुलर मोबाइल फोन के कनेकटर्स के विनिर्माण में होता है (ख) इनपुट्स या सबपार्ट्स जिनका प्रयोग उपर्युक्त (क) के पार्ट्स के विनिर्माण में होता है ।	शून्य शून्य	1 1”;

(iv) स्पष्टीकरण में, ‘इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए’, शब्दों के स्थान पर शब्द और अंक “इस अधिसूचना के क्रम संख्या 7क, 7ख और 7ग के लिए” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[फा.सं.354/20/2017-टीआरयू]

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 57/2017-सीमा शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. संख्या 798(अ), तारीख 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 22/2018-सीमा शुल्क, तारीख 02 फरवरी, 2018 जिसे सा.का.नि. 125 (अ), तारीख 02 फरवरी, 2018 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।